

क्रमांक 3317002/छ.ग./2017
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /08/2017

प्रति,

1. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
3. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता (सिविल) को शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 01-10/31/स्था./2017 दिनांक 03.08.2017 (04)

विषयांतर्गत कृपया शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया संबंधितों को शासनादेश की प्रति सौंपकर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. 3317002/छ.ग./2017 / 12313
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 05/08/2017

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल, रामपुर/कोरबा।
3. अधीक्षण अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना बांध मंडल, रुद्री।
4. अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर।
5. श्री बी.आर. लाड़िया द्वारा स.क्र.-2
6. श्री के.एस. ध्रुव, अधीक्षण अभियंता द्वारा स.क्र.-3
7. श्री लीलाशंकर चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता द्वारा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. श्री पी.के. वर्मा, कार्यपालन अभियंता द्वारा स.क्र.-4।
9. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर।
10. मास्टर नस्ती।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र.-2 से 10)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर

5-8

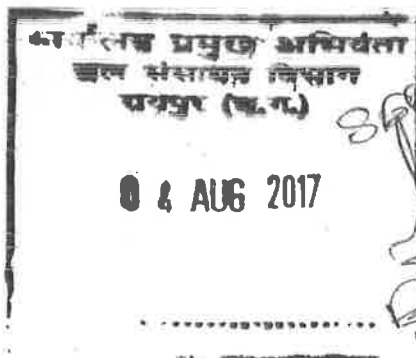
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
-- आदेश --

नया रायपुर, दिनांक 03.08.2017

क्रमांक एफ 01-10/31/स्था./2017 :: राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित अधीक्षण/कार्यपालन अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ करता है:-

क्र.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
01	02	03	04
1	श्री बी.आर. लाड़िया, अधीक्षण अभियंता	हसदेव परियोजना, मंडल, रामपुर कोरबा	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2	श्री लीला शंकर चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता	कार्यालय, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर	प्रभारी अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल, रामपुर/कोरबा
3	श्री के.एस. ध्रुव, अधीक्षण अभियंता	महानदी जलाशय परियोजना बांध मंडल, रुद्री	अधीक्षण अभियंता, महानदी मंडल, रायपुर
4	श्री पी.के. वर्मा, कार्यपालन अभियंता	प्रभारी अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर	प्रभारी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर

2. स्थानांतरित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त किये जायें। दिनांक 10.08.2017 की स्थिति में स्थानांतरित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त माने जावेंगे।
3. अधिसूचित क्षेत्र से स्थानांतरित अधिकारी, एवजीदार के आने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
4. वर्तमान में पदस्थ/कार्यरत प्रभारी/अतिरिक्त प्रभार अधिकारी, नियमित अधिकारी की पदस्थापना होने के फलस्वरूप, स्वमेव मूल पदस्थापना हेतु कार्य मुक्त माने जावेंगे।
5. स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाकर, पालन प्रतिवेदन समय-सीमा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।
6. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकण्ठ टीकाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मान0 संसदीय सचिव के निज सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. निज सचिव, सचिव, /संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
4. समस्त कलेक्टर, जिला छत्तीसगढ़।
5. समस्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़।
6. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
6. समस्त अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल,.....
7. समस्त कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग,.....
8. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय,
9. सर्वसंबंधित अधिकारी द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
10. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग